

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी: सुधी ^{रूपानी गांधीवाल} श्री. एम. एम. आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या २१०॥१८

१- श्री नाबू सो. श्री कामा बलाई निवासी - दुंताला तहसील - गाण्डल प्राथी

वनाम

१- श्री गीतदन सो. श्री नारायण बलाई निवासी - दुंताला तहसील - गाण्डल [कर] विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-१२८ रा०भू०रा०अधि० १९५६

:: आदेश :: दिनांक- ११-९-१८

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १११-१२८ रा०भू०रा०अधि०नियम १९५६ के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम **लांगरो का खेडा उर्फ अक्षयपुरा** पटवार हल्का **दुंताला** तहसील मांडल/ ~~कस्बा~~ में उसके खाते / संयुक्त खातों की आराजी नं. **१८३५, १८३६** कुल कित्ता **०.२** रकबा **०५** बीघा **०५** विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **७-८-१८** को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा १११-१२८ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट १९५६ का स्वीकार किया जाकर ग्राम **लांगरो का खेडा** पटवार हल्का **दुंताला** तहसील मांडल/ ~~कस्बा~~ में स्थित आराजी नम्बर **१८३५, १८३६** कुल कित्ता **०.२** रकबा **०५** बीघा **०५** विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक **सी० डल** को **३००/-** रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Jail
उपखण्ड अधिकारी
मांडल ~~कस्बा~~ भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/ ~~कस्बा~~ को भेजाकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट ७ दिवस में प्रस्तुत करें।

Jail
उपखण्ड अधिकारी
मांडल ~~कस्बा~~ भीलवाड़ा